	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	

सीएसएफ/2-10/फोडर/2024- **दिनाँक: 14.03.2024**

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में रबी 2023–24 में बोई गई गेहूँ (353.0 एकड़), जौ (469.25 एकड़) व जई (1146.75 एकड़) की फसलों की कटाई के बाद तूड़ी (भूसा) बनाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियो से आफॅलाइन निविदाएँ दिनांक 27.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 3.00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतू आमंत्रित है। ई–निविदाये देने से पहले ऑनलाईन माध्यम से रु 236/– निविदा फार्म शुल्क व रु 10,000/–मात्र प्रत्येक चक के अनुसार एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी। । निविदा हेतू विस्तृत विवरण , निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। सफल निविदादाता को छोड़ी गई फसल कटाई की कुल रकम की 50 प्रतिशत राशि कार्य आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर जमा करवानी होगी ।

सहा. प्रबंधक(उ.)

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

फार्म क्षेत्र में तूड़ी (फोडर) बनाने के लिए नियम व शर्ते

1- निविदा में भाग लेने के लिए रू0 236/– निविदा शुल्क व रु 10,000 (रू–दस हजार मात्र) प्रत्येक चक के लिए धरोहर राशि के रुप में जमा करने होगें। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा चक के लिए दरे भरना चाहता है तो एक की बार मे सपूंर्ण धरोहर राशि (रुपये 10,000 x जितने चको की दरे निविदा में भरनी है) ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। तभी ई–निविदा/निविदा प्रपत्र मान्य होगे। धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

2- निविदादाताओ को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैकं पास बुक की छायाप्रति जिस पर IFSC कोड अंकित हो को अपलोड करना अनिवार्य है।

3- निविदादाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रुप से फार्म प्रमुख का होगा ।

4- निविदा में स्वीकार किये गये क्षेत्र की 50 प्रतिशत रकम कार्यआदेश जारी होने के **तीन दिवस में जमा करानी होगी**। यदि 50 प्रतिशत रकम जमा नहीं की तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । यदि कोई ठेकेदार कार्य शुरु करने से पहले की बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व जमा करवायी गयी 50 प्रतिशत रकम जब्त कर ली जायेगी ।

5- जौ, गेंहूँ व जई की तूडी बनाने का कार्य शुरू करने से पहले खरीदे गये क्षेत्र की सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी।

6- थ्रैसर, मजदूर, ट्रैक्टर–ट्राली आदि सभी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।

7- कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

8- तूड़ी बनाने के समय गेहूं, जौ व जई का दाना (अनाज) निकलेगा वह फार्म में जमा कराना होगा।

9- तूड़ी की ट्राली/ट्रक को बाहर ले जाने से पहले संबंधित चक ईन्चार्ज से गेट पास लेना होगा।

10- ठेकेदार स्वयं गेटपास पर हस्ताक्षर करे अथवा अपने व्यक्ति को अधिकार पत्र दे जो कि गेट पास पर हस्ताक्षर करे। अधिकार पत्र की प्रतिलिपी फार्म कार्यालय में जमा करे।

11- तूड़ी बनाने का कार्य **सील्ला चुगाई** करने के बाद ही शुरू करना होगा तथा चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी के बताने पर ही कार्य शुरू करना होगा।

12- तूड़ी बनाने व ले जाने का कार्य सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 तक करना होगा। यदि किसी कारणवश कार्य में देरी होती है तब सबंधित चक प्रभारी/ खण्ड प्रभारी/ हैड गार्ड को सूचित करना होगा।

13- तूड़ी बनाने का समय कटाई के 15 दिन बाद तक का होगा विशेष परिस्थितियों में तुड़ी बनाने का समय फार्म प्रमुख की अनुमति से 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। उसके उपरांत भी यदि ठेकेदार तुड़ी बनाने का कार्य पुरा नही कर पाता है तब फार्म के पास अधिकार होगा की वह उस क्षेत्र की तुड़ी का निस्तारण अपने स्तर पर खरीफ फसलों की बिजाई हेतु फिल्ड तैयार कर सके एवम इसमें जो तुड़ी का नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

14- कार्य शुरु करने से पहले ठेकेदार को 500.00 रुपये का स्आम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तो को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्ते मान्य है तथा इनके अनुसार ही कार्य करुंगा।

15- कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।

16- अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह निर्धारित समयावधि (नियम शर्त सख्या 13 के अनुसार) के उपरांत दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

17- कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागु होगा तो ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। फार्म, लागु कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नही होगा।

18- कार्य करने के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा फार्म की अन्य सम्पत्ति का कोई नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी तथा तूड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तूड़ी लेने वाले ठेकेदार की होगी। यदि प्राकृतिक आपदा/बारिश से तूड़ी में नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।

19- तूड़ी बनाते समय या ले जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

20- फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अतिंम होगा।

21- सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

22- यदि ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम शर्तो की अवहेलना की जाती है या फार्म उत्पादन/ पेड़ या अन्य फार्म सम्पदा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जॉच के उपरांत यदि यह पाया गया कि ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुॅंचा है तो ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता/ किये गये नुकसान के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है।

23- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of PAN Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhaar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	
Copy of Bank Passbook	

<u>निविदा प्रपत्र</u>

फार्म निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)

रबी 2023-24 में बोये गये फार्म क्षेत्र में गेहूँ, जौ व जई की कटाई के बाद तूड़ी (फोडर) बनाने के लिये निविदा दिनाँक 27.03.2023

ब्लॉक संख्या	चक संख्या	तूड़ी बनाने का क्षेत्र (एकड़ में)			दर प्रति एकड़ रुपयों में (जो फार्म में जमा करवाना है)		
		गेहूँ	जौ	जई	गेहूँ	जौ	जई
1	38 STG	93.00	4.00	63.00			
	40 STG	98.00	56.00	45.00			
	42 STG	73.00	0.00	163.00			
	44 STG	43.00	86.00	86.00			
	BRP-1	46.00	0.00	29.00			
Total B-1		**353.00**	**146.00**	**386.00**			
2	31 B PBN	0.00	0.00	134.00			
	33 PBN	0.00	117.00	159.00			
	RPM-1	0.00	0.00	98.00			
	RPM-2	0.00	62.00	137.00			
	RPM-3	0.00	0.00	73.00			
Total B-2		**0.00**	**179.00**	**601.00**			
3	3 SGM	0.00	83.00	21.00			
	34 PBN	0.00	61.25	138.75			
Total B-3		**0.00**	**144.25**	**159.75**			
G.Total		**353.00**	**469.25**	**1146.75**			

हस्ताक्षर ....

नाम व पता ....

....

मोबाईल नं : ....